



Chec Billian



अगस्त 2024 (संग्रह)

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009 Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501 Email: help@groupdrishti.in

अनुद्रुत्रभ

राज	राजस्थान	
>	राजस्थान के स्कूलों में अनुच्छेद 370 के निरसन का उत्सव	3
>	भारत करेगा तरंग शक्ति की मेज़बानी	3
>	राजस्थान	3
>	पंप स्टोरेज परियोजनाओं पर राजस्थान की नई नीति	5
>	राजस्थान में किसानों के लिये विद्युत	5
>	राजस्थान की फर्स्ट एविएशन एकेडमी	6
>	राजस्थान इन्वेस्टर्स समिट, 2024 के लिये सुझाव	7
>	रणथंभौर टाइगर रिजर्व	7
>	भारत बंद के चलते राजस्थान में हाई अलर्ट	8
>	RECPDCL ने राजस्थान पावर प्रोजेक्ट को Apraava को हस्तांतरित किया	ç
>	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) की कार्यनिष्पादन समीक्षा	10
>	तनोट मंदिर ने ऑनलाइन पास प्रणाली शुरू की	1
>	प्रधानमंत्री का राजस्थान दौरा	12
>	राजस्थान बनेगा चिकित्सा पर्यटन का केंद्र	13
>	राजस्थान ने सरकारी कर्मचारियों पर लगा प्रतिबंध हटाया	13
>	स्वदेशी कदन्न खेती की पहल	14
>	राजस्थान में पुलिस बल का आधुनिकीकरण	15

राजस्थान

राजस्थान के स्कूलों में अनुच्छेद 370 के निरसन का उत्सव

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग** ने चालू शैक्षणिक वर्ष में <mark>वीर सावरकर जयंती</mark> और <mark>अनुच्छेद 370 के निरसन का उत्सव</mark> मनाने की घोषणा की।

मुख्य बिंदु

- 28 मई को स्कूलों में वीर सावरकर जयंती का उत्सव मनाया जाएगा और 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 निरिसत किये जाने के उपलक्ष्य में स्वर्ण मुकुट मस्तक दिवस मनाया जाएगा
- अन्य उल्लेखनीय दिवसों में 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस दिवस, जिसे देश प्रेम दिवस भी कहा जाता है, 14 फरवरी को मातृ पितृ दिवस और 4 फरवरी को सूर्य नमस्कार दिवस शामिल हैं।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370

- परिचय: 17 अक्तूबर, 1949 को अनुच्छेद 370 को एक 'अस्थायी उपबंध' (Temporary Provision) के रूप में भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, जिसने जम्मू-कश्मीर को विशेष छूट प्रदान की थी, इसे अपने स्वयं के संविधान का मसौदा तैयार करने की अनुमित प्राप्त हुई थी और राज्य में भारतीय संसद की विधायी शक्तियों को नियंत्रित रखा गया था।
 - ♦ इसे एन. गोपालस्वामी अयंगर द्वारा संविधान के मसौदे में अनुच्छेद 306A के रूप में पेश किया गया था।
 - अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर राज्य की संविधान सभा को यह अनुशंसा करने का अधिकार दिया गया था कि भारतीय संविधान के कौन-से अनुच्छेद राज्य पर लागू होंगे।
 - ◆ राज्य के संविधान का मसौदा तैयार करने के बाद जम्मू-कश्मीर संविधान सभा को भंग कर दिया गया था। अनुच्छेद 370 के खंड 3
 द्वारा भारत के राष्ट्रपति को इसके उपबंधों और दायरे में संशोधन कर सकने की शक्ति प्रदान की गई थी।
- अनुच्छेद 35A अनुच्छेद 370 से व्युत्पन्न हुआ था जिसे इसे जम्मू-कश्मीर संविधान सभा की अनुशंसा पर वर्ष 1954 में राष्ट्रपति के एक आदेश (Presidential Order) के माध्यम से पेश किया गया था।
- अनुच्छेद 35A जम्मू-कश्मीर विधानसभा को राज्य के स्थायी निवासियों और उनके विशेष अधिकारों तथा विशेषाधिकारों (special rights and privileges) को परिभाषित करने का अधिकार देता था।
- 5 अगस्त, 2019 को भारत के राष्ट्रपित ने संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 'संविधान (जम्मू-कश्मीर पर लागू) आदेश, 2019' जारी किया। इसके माध्यम से भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 में संशोधन किया (उल्लेखनीय है कि इसका प्रतिसंहरण नहीं किया)।

भारत करेगा तरंग शक्ति की मेज़बानी

चर्चा में क्यों?

सूत्रों के अनुसार, भारत दो चरणों में तमिलनाडु और राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय वायु अभ्यास 'तरंग शक्ति' की मेज़बानी करेगा।

मुख्य बिंदु

यह भारत में आयोजित अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अभ्यास होगा, जिसमें 51 देशों को निमंत्रण दिया गया है।

- भारतीय वायु सेना को दस देशों से उनकी संपत्तियों के साथ भाग लेने तथा 18 देशों से पर्यवेक्षक के रूप में भाग लेने की पुष्टि प्राप्त हो चुकी है।
 - ♦ अभ्यास का पहला चरण 6 अगस्त से 14 अगस्त तक तिमलनाडु के सुलूर में आयोजित किया जाएगा और फ्राँस, जर्मनी, स्पेन तथा यूनाइटेड किंगडम सिहत चार देश अपने साजो-सामान के साथ इसमें भाग लेंगे।
 - दूसरा चरण 1 से 14 सितंबर तक राजस्थान के जोधपुर में आयोजित किया जाएगा और इसमें ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ग्रीस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात तथा अमेरिका अपने संसाधनों के साथ भाग लेंगे।
- इस अभ्यास में भारतीय वायु सेना के F-18, A-18, C-130 विमान, F-16 विमान, A-10, KC-130 विमान, KC-135 विमान भाग लेंगे।
 - ♦ इसका उद्देश्य सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना और भारत के रक्षा उद्योग को उजागर करना है, जो देश के आत्मिनिर्भर भारत के
 दिष्टिकोण का समर्थन करता है।



पंप स्टोरेज परियोजनाओं पर राजस्थान की नई नीति

चर्चा में क्यों?

सूत्रों के अनुसार, **राजस्थान सरकार <mark>नवीकरणीय ऊर्जा</mark> को बढ़ावा देने** के प्रयासों के तहत **पंप स्टोरेज परियोजनाओं पर नई नीति** लाने जा रही है।

मुख्य बिंदु

- मुख्यमंत्री के अनुसार, नवीकरणीय स्रोतों को मज़बूत करने के लिये उठाए जा रहे कदमों से राज्य जल्द ही ऊर्जा क्षेत्र में आत्मिनिर्भर हो
 जाएगा।
- सौर और पवन ऊर्जा पर निर्भर बिजली ग्रिडों को आपूर्ति के लिये 7,100 मेगावाट बिजली की क्षमता वाली इन परियोजनाओं की स्थापना के लिये राज्य में आठ संभावित स्थानों की पहचान की गई है।
 - पंप स्टोरेज परियोजनाओं पर कार्य राज्य की पवन और हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 तथा नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2023 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार किया गया है।
 - राज्य को 1,800 मेगावाट क्षमता की अपनी पहली स्वतंत्र पंप भंडारण परियोजना शुरू करने की मंज़ूरी मिल गई है, जो कुनो
 नदी बेसिन के भीतर बारां जिले के शाहबाद क्षेत्र में स्थापित की जाएगी।

कुनो नदी

- यह चंबल नदी की मुख्य सहायक निदयों में से एक है।
- यह दक्षिण से उत्तर की ओर कुनो राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है तथा अन्य छोटी निदयों और सहायक निदयों को मध्य प्रदेश-राजस्थान सीमा पर मुरैना में चंबल नदी में बहा देती है।
- यह कुनो राष्ट्रीय उद्यान के विविध वनस्पितयों और जीवों के लिये पानी का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है।
- यह 180 किलोमीटर लंबी है और **मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत शृंखला से निकलती है**

राजस्थान में किसानों के लिये विद्युत

चर्चा में क्यों?

सूत्रों के अनुसार, **राजस्थान सरकार ने <mark>नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिये नए समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं,</mark> जिससे किसानों को दिन में अपने खेतों की सिंचाई के लिये विद्युत प्राप्त करने में मदद मिलेगी।**

- विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये राज्य सरकार की पहल से वर्ष 2027 तक कृषि उपयोगकर्त्ताओं को दिन में निर्बाध विद्युत आपूर्ति की गारंटी मिल सकेगी।
- प्रधानमंत्री कुसुम-सी योजना के अंतर्गत 4,386 मेगावाट की परियोजनाओं के लिये आशय-पत्र जारी किया गया तथा जयपुर में दो
 गैस आधारित विद्युत संयंत्रों के लिये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए।
- वर्ष 2020 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of New and Renewable Energy- MNRE) ने पीएम- कुसुम योजना के घटक-सी के तहत फीडर स्तर पर सौरीकरण के कार्यान्वयन की शुरुआत की।
 - इस योजना के तहत, पहले से ही अलग किये गए कृषि फीडर या, कृषि के लिये प्रमुख भार वाले फीडर को ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना का उपयोग करके सौर ऊर्जा से जोड़ा जा सकता है तािक फीडर की वािषक विद्युत की आवश्यकता को पुरा किया जा सके। इससे पुंजीगत लागत और विद्युत की लागत दोनों के मामले में लागत कम होगी।

PM कुसुम

• परिचय:

- ♦ PM-कुसुम भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019 में शुरू की गई एक प्रमुख योजना है जिसका प्राथमिक उद्देश्य सौर ऊर्जा समाधानों को अपनाने को बढ़ावा देकर कृषि क्षेत्र में बदलाव लाना है।
- यह मांग-आधारित दृष्टिकोण पर काम करता है। विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (Union Territories- UT) से प्राप्त मांगों के आधार पर क्षमताओं का आवंटन किया जाता है।
- ◆ विभिन्न घटकों और वित्तीय सहायता के माध्यम से, PM-कुसुम का लक्ष्य 31 मार्च, 2026 तक 30.8 गीगावाट की महत्त्वपूर्ण सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि हासिल करना है।
- PM-कुसुम के उद्देश्यः
 - कृषि क्षेत्र का डीज़लीकरण समाप्त करना: इस योजना का उद्देश्य सौर ऊर्जा चालित पंपों और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को प्रोत्साहित करके सिंचाई के लिये डीजल पर निर्भरता को कम करना है।
 - इसका उद्देश्य सौर पंपों के उपयोग के माध्यम से सिंचाई लागत को कम करके किसानों की आय में वृद्धि करना तथा उन्हें
 अधिशेष सौर ऊर्जा को ग्रिड को बेचने में सक्षम बनाना है।
 - ♠ किसानों के लिये जल एवं ऊर्जा सुरक्षा: सौर पंपों तक पहुँच प्रदान करके और सौर-आधारित सामुदायिक सिंचाई परियोजनाओं को बढ़ावा देकर, इस योजना का उद्देश्य किसानों के लिये जल एवं ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाना है।
 - पर्यावरण प्रदूषण पर अंकुश लगानाः स्वच्छ एवं नवीकरणीय सौर ऊर्जा को अपनाकर, इस योजना का उद्देश्य पारंपिरक ऊर्जा स्रोतों से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को कम करना है।

राजस्थान की फर्स्ट एविएशन एकेडमी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अजमेर ज़िले के किशनगढ़ हवाई अड्डे पर राज्य की पहली उड़ान प्रशिक्षण अकादमी का उद्घाटन किया।

मुख्य बिंदु

- नई अकादमी िकशनगढ़ में आर्थिक गितिविधियों के विकास में सहायता करेगी, जो कि संगमरमर और ग्रेनाइट उद्योग के कारण एक
 प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरा है।
- राज्य में हवाई संपर्क में वृद्धि से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।
- केंद्र ने देश में 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को मंज़ूरी दी थी और हवाई यात्रियों की संख्या बढ़ाने तथा कम सेवा वाले हवाई मार्गों को उन्नत करके क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देने के लिये कदम उठाए थे।
- केंद्र की उड़ान योजना से 1.41 करोड़ से अधिक घरेलू यात्री लाभान्वित हुए।

उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) योजना

- परिचय:
 - यह योजना नागर विमानन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation) द्वारा क्षेत्रीय हवाईअड्डे के विकास और क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने के लिये शुरू की गई थी।

- ◆ यह राष्ट्रीय नागिरक उड्डयन नीति, 2016 का एक हिस्सा है।
- यह योजना 10 वर्ष की अवधि के लिये लागू है।
- उद्देश्य:
 - भारत के सुदूर और क्षेत्रीय क्षेत्रों में हवाई संपर्क में सुधार लाना।
 - दूरस्थ क्षेत्रों का विकास करना तथा व्यापार और वाणिज्य एवं पर्यटन विस्तार को बढ़ावा देना।
 - 🔷 आम लोगों को किफायती दरों पर हवाई यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराना।
 - विमानन क्षेत्र में रोजगार सुजन।

राजस्थान इन्वेस्टर्स समिट, 2024 के लिये सुझाव

चर्चा में क्यों?

सूत्रों के अनुसार, व्यापार संघों और उद्योग मंडलों ने **9 से 11 दिसंबर, 2024 तक जयपुर** में आयोजित होने वाले <mark>राइज़िंग राजस्थान, एक इन्वेस्टर्स समिट</mark> के लिये सिफारिशें प्रदान की हैं।

प्रमुख बिंदु

- सिमट की औपचारिक घोषणा 1 अगस्त, 2024 को की गई थी और राज्य सरकार को **5.40 ट्रिलियन रुपए से अधिक के निवेश के लिये** समझौता ज्ञापन (MoU) प्राप्त हुआ था।
- राज्य के व्यापार क्षेतः का मानना है कि ऐसी घटनाओं के नियमित रूप से होने से उद्योग विभाग की अन्य जिम्मेदारियों से ध्यान, प्रयास और धन का विचलन हो सकता है, क्योंकि इन घटनाओं के आयोजन में वर्ष भर की व्यापक योजना एवं तैयारी शामिल होती है।
 - ♦ ऑल राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन (ARTIA) इस आयोजन की सफलता सुनिश्चित करने के लिये प्रतिबद्ध है।

रणथंभौर टाइगर रिज़र्व

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वन विभाग ने एक साहसिक रैली के दौरान रणथंभौर टाइगर रिज़र्व (RTR) में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले 14 SUV मालिकों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया।

प्रमुख बिंदु

- यह जुर्माना वन्यजीव अधिनियम, 1972 की धारा 27/51 के अनुसार लगाया गया।
- परिचय:
 - रणथंभौर टाइगर रिजर्व राजस्थान राज्य के पूर्वी भाग में करौली और सवाई माधोपुर जिलों में अरावली तथा विंध्य पर्वत शृंखलाओं के संगम पर स्थित है।
 - 🔷 इसमें रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के साथ-साथ सर्वाई मानिसंह और कैलादेवी अभयारण्य भी शामिल हैं।
 - ◆ रणथंभौर किला, जिसके नाम से जंगलों का नाम पड़ा है, के बारे में कहा जाता है कि इसका इतिहास 1000 वर्ष से भी ज्यादा पुराना है। यह उद्यान के भीतर 700 फीट ऊँची पहाड़ी पर रणनीतिक रूप से स्थित है और माना जाता है कि इसका निर्माण 944 ई. में एक चौहान शासक ने करवाया था।

• बाघों से आच्छादित यह पृथक क्षेत्र बंगाल बाघ के वितरण क्षेत्र की उत्तर-पश्चिमी सीमा का प्रतिनिधित्व करता है और यह देश में संरक्षण के लिये प्रोजेक्ट टाइगर के प्रयासों का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

विशेषताएँ:

- इस रिज़र्व में अत्यधिक खंडित वन क्षेत्र, खड्ड, नदी-नाले और कृषि भूमि शामिल हैं।
- यह कैलादेवी वन्यजीव अभयारण्य के कुछ हिस्सों, चंबल के खड्डों वाले आवासों और श्योपुर के वन क्षेत्रों के माध्यम से मध्य प्रदेश
 के कुनो-पालपुर परिदृश्य से जुड़ा हुआ है।
- ◆ चंबल नदी की सहायक नदियाँ बाघों को कुनो राष्ट्रीय उद्यान की ओर जाने के लिये आसान मार्ग प्रदान करती हैं।

• वनस्पति एवं वन्य जीवन:

- ◆ वनस्पति में पठारों पर घास के मैदान और मौसमी निदयों के किनारे घने जंगल शामिल हैं।
 - यहाँ का जंगल मुख्य रूप से उष्णकिटबंधीय शुष्क पर्णपाती है, जिसमें 'ढाक' (ब्यूटिया मोनोस्पर्मा) नामक वृक्ष की प्रजाति
 सबसे आम है, जो लंबे समय तक सुखे को झेलने में सक्षम है।
 - इस पेड़ को 'जंगल की आग' भी कहा जाता है और यह उन कई फूलों वाले पौधों में से एक है जो यहाँ की शुष्क गर्मियों में रंग भर देते हैं।
- ♦ यह उद्यान वन्य जीवन से समृद्ध है, जिसमें स्तनधारियों में बाघ खाद्य शृंखला के शीर्ष पर हैं।
- यहाँ पाए जाने वाले अन्य जानवरों में तेंदुए, धारीदार लकड़बग्धा, सामान्य या हनुमान लंगूर, रीसस मकाक, सियार, जंगली बिल्लियाँ,
 कैराकल, काला हिरण, ब्लैकनेप्ड खरगोश और चिंकारा आदि शामिल हैं।
- राजस्थान में अन्य संरक्षित क्षेत्र:
 - सिरस्का राष्ट्रीय उद्यान, अलवर
 - मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान, जैसलमेर
 - केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर
 - सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, उदयपुर
 - राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य (राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के त्रि-जंक्शन पर स्थित)।

भारत बंद के चलते राजस्थान में हाई अलर्ट

चर्चा में क्यों?

आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति द्वारा आयोजित **भारत बंद** के बाद राजस्थान में **हाई अलर्ट** है।

यह विरोध प्रदर्शन सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय के विरोध में है, जिसमें राज्यों को अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के बीच 'क्रीमी लेयर' की पहचान करने तथा उन्हें आरक्षण लाभ से बाहर करने का निर्देश दिया गया है।

- सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि राज्यों को पिछड़ेपन के विभिन्न स्तरों के आधार पर SC और ST को उप-वर्गीकृत करने की संवैधानिक अनुमित है।
- सात न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय सुनाया कि राज्य अब सबसे वंचित समूहों को बेहतर सहायता प्रदान करने के लिये 15% आरक्षण कोटे के भीतर SC को उप-वर्गीकृत कर सकते हैं।

- सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया है कि 'क्रीमी लेयर' सिद्धांत, जो पहले केवल अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) पर लागू होता था (जैसा कि इंद्रा साहनी मामले में उजागर किया गया था), अब SC और ST पर भी लागू होना चाहिये।
- इसका अर्थ है कि राज्यों को SC और ST के भीतर **क्रीमी लेयर की पहचान** करनी चाहिये तथा उन्हें आरक्षण लाभों से बाहर करना चाहिये।

बंद, हड़ताल या इसी तरह के विरोध प्रदर्शन आयोजित करने की संवैधानिकता

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(c) नागरिकों को संघ या यूनियन बनाने का मौलिक अधिकार देता है।
- अनुच्छेद 19 अपने नागरिकों के अधिकारों, विशेष रूप से भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में राज्य की शक्ति को प्रतिबंधित करता है।
- अनुच्छेद 19(1)(a) नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जिसमें विभिन्न माध्यमों से राय, विश्वास एवं दृढ़ विश्वास व्यक्त करना शामिल है।
 - ♦ विचारों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व के रूप में प्रदर्शनों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत संरक्षित किया जाता है, बशर्ते वे अहिंसक और व्यवस्थित हों।
 - हड़तालों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में शामिल नहीं किया गया है।
- अनुच्छेद 19 स्पष्ट रूप से नागरिकों को हड़ताल, बंद या चक्का जाम आयोजित करने का मौलिक अधिकार नहीं देता है।

RECPDCL ने राजस्थान पावर प्रोजेक्ट को Apraava को हस्तांतरित किया

चर्चा में क्यों?

REC लिमिटेड की सहायक कंपनी REC पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (RECPDCL) ने राजस्थान IV-A पॉवर ट्रांसिमशन प्रोजेक्ट अप्रावा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (Apraava Energy Private Limited- AEPL) को हस्तांतरित कर दी।

 यह परियोजना राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा ज़ोन फेस IV से विद्युत की निकासी को सुविधाजनक बनाने हेतु तैयार की गई है, जिसमें जैसलमेर और बाड़मेर परिसर शामिल हैं।

- राजस्थान IV-A पॉवर ट्रांसिमशन प्रोजेक्टः
 - प्रोजेक्ट का दायराः
 - 765/400 kV, 4x1500 MVA पूलिंग स्टेशन का निर्माण।
 - 400/220 kV, 5x500 MVA पूलिंग स्टेशन का निर्माण।
 - 400 kV ट्रांसिमशन लाइन की 184.56 किलोमीटर की लाइन बिछाई जाएगी।
 - समय-सीमा: इस पिरयोजना के दो वर्ष के भीतर पूरा होने की आशा है।
 - क्षमता वृद्धिः इस परियोजना से क्षेत्र की विद्युत संचरण क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
 - प्रभावः यह परियोजना राजस्थान के नवीकरणीय ऊर्जा उद्देश्यों का समर्थन करेगी।
 - ◆ महत्त्व: यह हस्तांतरण वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन स्त्रोतों से 500 गीगावाट की स्थापित विद्युत क्षमता हासिल करने के व्यापक लक्ष्य का हिस्सा है।
 - मॉडल का प्रकार: इस परियोजना को निर्माण-परिचालन-हस्तांतरण (Build, Own, Operate, and Transfer-BOOT)
 के आधार पर विकसित किया जाएगा। यह विकास क्षेत्र में विद्युत संचरण बुनियादी ढाँचे को बढ़ाने में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

 BOOT मॉडल एक प्रकार का ऑपरेटर मॉडल है जिसका उपयोग परियोजना प्रबंधन में किया जाता है। इस मॉडल में वास्तिवक निवेशक किसी परियोजना के निर्माण, संचालन और रखरखाव को सीमित समय के लिये किसी अन्य कंपनी को सौंपता है।



भारत का स्वच्छ ऊर्जा का लक्ष्य

- भारत का लक्ष्य वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन तक पहुँचना और वर्ष 2030 तक अपनी बिजली आवश्यकताओं का पचास प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पूरा करना है।
- वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत को इस दशक में ऊर्जा मांग में अधिकांश वृद्धि को पहले से ही कम कार्बन ऊर्जा स्रोतों से पूरा करना होगा।
- भारत सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करना, अपनी अर्थव्यवस्था की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करना और एक अरब टन कार्बन डाईऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करना शामिल है।



क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) की कार्यनिष्पादन समीक्षा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री** ने उदयपुर में नौ **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB)** के प्रदर्शन की समीक्षा के लिये एक बैठक की अध्यक्षता की।

प्रमुख बिंदु

- गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्यों के RRB की समीक्षा की गई।
- इस बैठक में कारोबारी प्रदर्शन, डिजिटल प्रौद्योगिकी उन्नयन, MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) क्लस्टर विकास तथा ग्रामीण वित्तीय समावेशन पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- केंद्रीय मंत्री ने निर्देश दिये:
 - राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) बुंदेलखंड और आकांक्षी जिलों में मुद्रा योजना तथा अन्य वित्तीय समावेशन योजनाओं के प्रदर्शन में सुधार के लिये राज्य सरकार, प्रायोजक बैंकों एवं RRB के साथ बैठकें आयोजित करेगी।
 - गुजरात और राजस्थान में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जागरूकता उत्पन्न करेंगे तथा ऋण उपलब्ध कराएंगे।

 RRB को PM विश्वकर्मा योजना के तहत संभावित व्यवसायों की पहचान करनी होगी और प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के घोषित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये जमीनी स्तर पर कृषि ऋण वितरण में अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी होगी।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB)

- RRB की स्थापना 26 सितंबर, 1975 को जारी अध्यादेश और **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976** के प्रावधानों के तहत वर्ष **1975** में की गई थी
- ये वित्तीय संस्थान हैं जो कृषि और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिये पर्याप्त ऋण सुनिश्चित करते हैं
- वे ग्रामीण समस्याओं की जानकारी के मामले में सहकारी समिति की विशेषताओं और व्यावसायिकता तथा वित्तीय संसाधन जुटाने
 की क्षमता के मामले में वाणिज्यिक बैंक की विशेषताओं को जोड़ते हैं
- 1990 के दशक में सुधारों के बाद, सरकार ने वर्ष 2005-06 में एक **समेकन कार्यक्रम शुरू किया**, जिसके परिणामस्वरूप RRB की संख्या वर्ष 2005 में 196 से घटकर वित्त वर्ष 2021 में 43 हो गई और 43 RRB में से 30 ने शुद्ध लाभ दर्ज किया।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)

- PMMY को भारत सरकार ने वर्ष 2015 में लॉन्च किया था
- PMMY छोटे व्यवसाय उद्यमों के लिये 10 लाख रुपए तक के संपार्श्विक-मुक्त संस्थागत ऋण प्रदान करता है
- यह ऋण देने वाले सदस्य संस्थानों (MLI) यानी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCB), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) और सूक्ष्म वित्त संस्थानों (MFI) द्वारा प्रदान किया जाता है।

PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना

- सरकार ने छतों पर सौर ऊर्जा स्थापना को बढ़ावा देने के लिये वर्ष 2014 में इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी।
- इसका मूल लक्ष्य वर्ष **2022 तक 40 गीगावाट स्थापित क्षमता (वर्ष 2030 तक 100 गीगावाट में से)** का था, लेकिन वर्ष 2022 तक लक्ष्य पूरा नहीं हो सका, इसलिये इसकी समय सीमा **वर्ष 2026 तक बढ़ा दी** गई।
 - रूफटॉप सौर पैनल फोटोवोल्टिक पैनल होते हैं जो किसी भवन की छत पर स्थापित किये जाते हैं तथा मुख्य विद्युत आपूर्ति इकाई से जुड़े होते हैं।
- इसका उद्देश्य आवासीय भवनों पर ग्रिड से जुड़ी सौर छत प्रणालियों को बढ़ावा देना है।
- रूफटॉप सोलर के अंतर्गत प्रमुख पहल:
 - ♦ स**ुप्रभा (सस्टेनेबल पार्टनरशिप फॉर RTS** ऐक्सेलरेशन इन इंडिया
 - सृष्टि (सस्टेनेबल रूफटॉप इम्प्लिमेंटेशन फॉर सोलर ट्रांस्फिग्यूरेशन ऑफ इंडिया)।

तनोट मंदिर ने ऑनलाइन पास प्रणाली शुरू की

चर्चा में क्यों?

हाल ही में घरेलू पर्यटकों को **जैसलमेर** जिले में **भारत-पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा** पर स्थित **तनोट-बाबलीयान पर्यटन सर्किट** का भ्रमण कराने के लिये ऑनलाइन पास प्रणाली शुरू की गई है।

- वेबसाइट का विकास **तनोट माता ट्रस्ट** द्वारा किया गया है तथा इसका **प्रबंधन सीमा सुरक्षा बल (BSF)** द्वारा किया जाता है।
- यह आगंतुकों को सीमा सुरक्षा गितविधियों को देखते हुए गर्व और देशभिक्त की भावना महसूस करने की अनुमित देता है

- इच्छुक पर्यटकों को विस्तृत जानकारी और पहचान के साथ एक ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा।
- केंद्र सरकार ने मंदिर पिरसर में तनोट पर्यटन पिरयोजना के लिये 17.67 करोड़ रुपए मंज़ूर किये हैं।

तनोट माता मंदिर

- श्री तनोट माता मंदिर राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है
- यह हिंदू देवी हिंगलाज माता के स्वरूप तनोट राय को समर्पित है।

सीमा सुरक्षा बल (BSF)

- BSF की स्थापना वर्ष 1965 में भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद की गई थी।
- यह गृह मंत्रालय (MHA) के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत भारत संघ के सात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है।
 - ◆ अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हैं: असम राइफल्स (AR), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) और सशस्त्र सीमा बल (SSB)।
- 2.65 लाख जवानों वाला यह बल पािकस्तान और बांग्लादेश सीमा पर तैनात है।
 - इसे भारतीय सेना के साथ भारत-पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा, भारत-बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा (LoC) पर तथा नक्सल विरोधी अभियानों में तैनात किया गया है।
- BSF अपने अत्याधुनिक जलयान बेड़े के साथ <mark>अरब सागर</mark> में **सरक्रीक** और <mark>बंगाल की खाड़ी</mark> में <mark>सुंदरवन डेल्टा</mark> की रक्षा कर रहा है।
- यह हर वर्ष अपनी प्रशिक्षित जनशक्ति का एक बड़ा दल भेजकर संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में समर्पित सेवाएँ प्रदान करता है।

प्रधानमंत्री का राजस्थान दौरा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री ने राजस्थान का दौरा किया, जहाँ वे जोधपुर स्थित उच्च न्यायालय परिसर में आयोजित राजस्थान उच्च न्यायालय की प्लेटिनम जयंती समारोह के समापन समारोह में मुख्य अतिथि थे।

- राज्य न्यायपालिका में एक उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय शामिल हैं। भारत में उच्च न्यायालयों की स्थापना वर्ष 1862
 में बॉम्बे, कलकत्ता एवं मद्रास में की गई थी।
- भारत का संविधान प्रत्येक राज्य के लिये एक उच्च न्यायालय का प्रावधान करता है, लेकिन संसद दो या अधिक राज्यों के लिये एक सामान्य उच्च न्यायालय की घोषणा कर सकती है।
- उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या भारत के राष्ट्रपित द्वारा तय की जाती है, संसद द्वारा नहीं।
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तिः
 - संविधान का अनुच्छेद 217: इसमें कहा गया है कि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपित द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI), राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाएगी।
 - मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया
 जाता है।

राजस्थान बनेगा चिकित्सा पर्यटन का केंद्र

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **राजस्थान सरकार** ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये शीघ्र ही **'हील इन राजस्थान' नीति** शुरू करके <mark>चिकित्सा</mark> पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है।

यह नीति तैयार करने के लिये एक **मेडिकल वैल्यू ट्रैवल समिति** नियुक्त की गई है, जिसमें विभिन्न विभागों और संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

मुख्य बिंदु

- राज्य सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने नीति के लिये सुझाव एकत्र करने के लिये निजी अस्पतालों, दूर ऑपरेटरों और अन्य हितधारकों के साथ सहयोग किया है।
- इसका मुख्य ध्यान स्वास्थ्य, कायाकल्प और पारंपरिक चिकित्सा आधारित उपचारों पर है, जिसका उद्देश्य जयपुर तथा अन्य शहरों को प्रमुख चिकित्सा पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करना है।
- राज्य सरकार ने वर्ष 2024 में बजट का 8.26% स्वास्थ्य क्षेत्र के लिये आवंटित किया है।
- इसका उद्देश्य नीतिगत निर्णयों, निवेश और रोज़गार के अवसरों के सुजन तथा फार्मास्यूटिकल्स एवं आतिथ्य जैसे संबंधित उद्योगों में विकास के माध्यम से राजस्थान को स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक मॉडल के रूप में स्थापित करना था।
- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग **निवेश संवर्द्धन ब्यूरो (BIP)** और **भारतीय उद्योग परिसंघ (CII)** के साथ मिलकर उच्च स्तरीय सुविधाएँ स्थापित करेगा, जिसका उद्देश्य चिकित्सा उपचार के लिये अन्य राज्यों तथा विदेशों से आने वाले रोगियों को आकर्षित करना है।

नोट: निवेश संवर्द्धन ब्यूरो (BIP) राजस्थान की एक सरकारी एजेंसी है जो राज्य में निवेश और एकल खिड़की मंज़ूरी को बढ़ावा देती है। BIP का मुख्य लक्ष्य निवेशकों का समर्थन करना तथा राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देना है।

भारतीय उद्योग परिसंघ (CII)

- CII एक गैर-सरकारी, गैर-लाभकारी, उद्योग-नेतृत्व वाला और उद्योग-प्रबंधित संगठन है।
- यह सलाहकार और परामर्श प्रक्रियाओं के माध्यम से उद्योग, सरकार तथा नागरिक समाज के साथ साझेदारी करके भारत के विकास के लिये अनुकूल वातावरण बनाने एवं बनाए रखने का कार्य करता है।
- वर्ष 1895 में स्थापित, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।

राजस्थान ने सरकारी कर्मचारियों पर लगा प्रतिबंध हटाया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की गतिविधियों में भाग लेने पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है।

- राज्य में RSS में शामिल होने पर प्रतिबंध वर्ष 1972 से लागू है। परिपत्र के माध्यम से सरकारी अधिकारियों पर 52 वर्ष पुराना प्रतिबंध हटा दिया गया है।
 - ◆ पिछले आदेशों में 17 संगठनों को सूचीबद्ध किया गया था, जिसमें उनसे जुड़े या उनकी गतिविधियों में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान था

- अब, कर्मचारियों को शाखाओं (सुबह की सभाओं) में शामिल होने और RSS की अन्य सभी गतिविधियों में शामिल होने की अनुमित है।
- जुलाई 2024 में केंद्र सरकार ने सरकारी अधिकारियों के RSS गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध हटा लिया, जिसके बाद हरियाणा,
 हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों ने भी प्रतिबंध हटा लिया।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS)

- परिचय
 - ◆ यह एक हिंदू राष्ट्रवादी स्वयंसेवी संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1925 में नागपुर में डॉ. के.बी. हेडगेवार द्वारा हिंदू संस्कृति और समाज के लिये कथित खतरों के जवाब में की गई थी, विशेष रूप से ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान।
 - ◆ इसका उद्देश्य **हिंदुत्व के विचार को बढ़ावा देना है,** जो हिंदू सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान पर जोर देता है।
- विचारधाराः
 - ♦ विनायक दामोदर सावरकर द्वारा व्यक्त की गई RSS की केंद्रीय विचारधारा इस विचार को बढ़ावा देती है कि भारत मूलत: एक हिंदू राष्ट्र है।
 - RSS **भारतीय संस्कृति और विरासत के महत्त्व** पर जोर देता है, जिसका उद्देश्य लोगों को एक समान राष्ट्रीय पहचान के तहत एकजुट करना है।
 - यह संगठन शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और आपदा राहत सिहत विभिन्न सामाजिक सेवा गतिविधियों में संलग्न है तथा अपने सदस्यों के बीच "सेवा" के विचार को बढ़ावा देता है।

स्वदेशी कदन्न खेती की पहल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उदयपुर जिले के झाड़ोल ब्लॉक में कदन्न (मिलेट्स) की खेती की पहल ने किसानों की नई पीढ़ी के बीच स्वदेशी बाजरा किस्मों की खेती को पुनर्जीवित किया है, जिससे आजीविका प्रोत्साहन के साथ-साथ प्राकृतिक खेती (नेचुरल फार्मिंग) पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है।

- पायलट परियोजना का उद्देश्य स्थानीय आजीविका को बढ़ाने और सतत् कृषि पद्धितयों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रागी (Finger Millet), प्रोसो बाजरा, कंगनी (Foxtail) बाजरा तथा कोदो बाजरा जैसी बाजरा किस्मों को पुनर्जीवित करना है।
- झाड़ोल के किसानों को **रासायनिक रूप से गहन कृषि पद्धितयों को अपनाने** और बहु-फसल जैसे पारंपरिक फसल विविधीकरण के स्थान पर तेजी से लाभ देने वाली वाणिज्यिक एकल-फसल को अपनाने के कारण फसल हानि का सामना करना पड़ा है।
- पहचानी गई कदन्न किस्मों को मूल रूप से लघु बाजरा कहा जाता था और स्थानीय रूप से कुरी, बत्ती, कोदरा, चीना, समलाई एवं माल के रूप में जाना जाता था।
- उदयपुर जिले में कार्यरत आंगनवाड़ी केंद्रों ने बच्चों के लिये पोषण पूरक के रूप में कदन्न आधारित व्यंजन शामिल करना शुरू कर दिया है।
- उदयपुर स्थित स्वैच्छिक समूह सेवा मंदिर ने एक कार्यक्रम सहयोगी के माध्यम से लघु बाजरा की ज़मीनी स्तर पर खेती को स्विधाजनक बनाने के लिये परियोजना शुरू की।

कदन्न हस्तक्षेप के परिणाम से उत्साहित होकर, सेवा मंदिर ने हाल ही में 1,000 किसानों के साथ बाज़ार तक पहुँच के लिये एक रूपरेखा तैयार की है।



राजस्थान में पुलिस बल का आधुनिकीकरण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राजस्थान में राज्य स्तरीय पुलिस अधिकारियों का सम्मेलन शुरू हुआ, जिसमें बदलते समय के साथ पुलिस बल के आधुनिकीकरण की आवश्यकता पर बल दिया गया।

प्रमुख बिंदु

- **'उत्कृष्टता के साथ पुलिसिंग: आगे की राह**' विषय पर केंद्रित दो दिवसीय सम्मेलन में नए आपराधिक कानूनों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकियों और साइबर सुरक्षा पर चर्चा की गई
- राजस्थान सरकार ने कानून व्यवस्था को मजबूत करने के संकल्प को दर्शाते हुए **भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामलों के लिये एंटी-गैंगस्टर** टास्क फोर्स और एक विशेष जाँच दल नियक्त किया
- दो दिवसीय सम्मेलन में पुलिस अधिकारियों की प्रस्तुतियों में साइबर सुरक्षा, डार्क वेब, क्रिप्टोकरेंसी, अंतर और अंतर-राज्यीय आपराधिक गिरोह, प्रतियोगी परीक्षाओं में धोखाधड़ी, महिलाओं तथा बच्चों के विरुद्ध अपराध, सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन, डिजिटल फोरेंसिक व मादक पदार्थों की तस्करी जैसे विषयों को शामिल किया जाएगा।